

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी:- अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या:-24/2021 आर्बीट्रेशन

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2021/87

संजय जैन आत्मज राजेन्द्र जैन निवासी: 16, भामाशाह मार्ग, सिंधी बाजार, उदयपुर
जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री जयप्रकाश भण्डारी पिता गणेशलाल भण्डारी निवासी: 16,
भामाशाह मार्ग, सिंधी बाजार, उदयपुर

----- प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन
इकाई, उदयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग एन.एच. खण्ड, उदयपुर

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) वास्ते आर्बीट्रेशन प्रोसिडिंग अन्तर्गत राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम सपठित आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट

उपस्थित:- 1. श्री समरथमल साहु अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2



निर्णय

दिनांक- 21-10-2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-जी (5) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आवासीय भूमि राजस्व ग्राम नोहरा, तहसील-गिर्वा के खसरा संख्या 7031 किस्म आवासीय क्षेत्रफल 0.0800 में से अवाप्त की गई भूमि क्षेत्रफल 0.0425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 8460/7031 किस्म आवासीय रकबा 0.1700 हैक्टेयर में से अवाप्त की गई भूमि 0.1046 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 8903/7031 किस्म आवासीय क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर में से अवाप्त की गई भूमि क्षेत्रफल 0.0825 हैक्टेयर अवाप्त की गई। खसरा संख्या 7031 मी. क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 8460/7031 रकबा 0.1700 हैक्टेयर श्रीमती मोवनी पत्नी श्री पन्नालाल भील के खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि थी, जिसे सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर भूमि को माननीय उप जिला कलक्टर गिर्वा, उदयपुर ने अपने संपरिवर्तन आदेश एफ40राज/बी/भूरू./ग्राम/10/802 में दिनांक 22.10.2010 के जरिये कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित कर तदनुसार खातेदार के नाम से पट्टा जारी कर दिया। इसी प्रकार भूमि खसरा संख्या 8903/7031 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर श्रीमती तुलसी पत्नी श्री दूदा भील के खातेदारी में अंकित थी, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल माननीय उप जिला कलक्टर गिर्वा, उदयपुर ने अपने संपरिवर्तन आदेश ए40 राज/बी/ भूरू./ग्राम/

जिला कलक्टर
उदयपुर

10/803 में दिनांक 22.10.2010 को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित करते हुए क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर अर्थात 2400 वर्गमीटर का एक आवासीय पट्टा खातेदार के नाम से जारी कर दिया। तब से उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर राजस्व अभिलेखों में किस्म आवासीय भूमि अंकित होकर इसी अनुसार चली आ रही है। उक्त भूमि का कोई भी भाग अथवा उसका कोई क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों में यह भूमि किस्म कृषि भूमि विद्यमान नहीं है। कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण के पश्चात् उक्त वर्णित खसरा संख्या 7031 मी. क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 8460/7031 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर अर्थात 2500 वर्गमीटर का सम्पूर्ण भूभाग श्रीमती मोवनी पत्नी श्री पन्नालाल द्वारा दिनांक 21.12.2010 को पंजीबद्ध विक्रय-विलेख के जरिये प्रार्थी संजय जैन आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार जैन को हस्तांतरित कर कब्जा सिपूद कर दिया। इसी प्रकार खसरा संख्या 8903/7031 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग श्रीमती तुलसी पत्नी श्री दूदा भील दिनांक 21.12.2010 को पंजीबद्ध विक्रय-विलेख के जरिये प्रार्थी को हस्तांतरित कर कब्जा सिपूद कर दिया। तब से ही सम्पूर्ण आवासीय भूमि प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है, प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हित एवं अधिकार निहित नहीं है। उक्त भूमि के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरित होने के उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58-ई उदयपुर-कुण्डल-नयाखेड़ा-झाडोल-फलासिया-सोम-खोखरा-अम्बावेली(गुजरात) सीमा तक किमी 0/0 से 73/300 में गांव सेठजी की कुण्डाल से पई तक सड़क के निर्माण हेतु विपक्षी संख्या 2 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए विपक्षी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही के अंतर्गत प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त वर्णित आवासीय भूमि खसरा संख्या 7031 मी. का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 0.0425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 8460/7031 किस्म आवासीय रकबा 0.1700 हैक्टेयर में से 0.1046 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 8903/7031 किस्म आवासीय क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर में से अवाप्त की गई भूमि क्षेत्रफल 0.0825 हैक्टेयर भूभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त किया गया, अवाप्ति की इस कार्यवाही में खसरा संख्या 8460/7031 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टेयर में से 0.0146 हैक्टेयर अवाप्त किया गया उसके मुआवजे की राशि आबादी भूमि के लिए प्रचलित दर से अदा करने का अवार्ड जारी हुआ तदनुसार मुआवजे की राशि भी प्रार्थी के बैंक खाते में जमा हो गई, परन्तु खसरा संख्या 7031 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर में से 0.0425 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 8903/7031 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर में से 0.0825 हैक्टेयर अर्थात कुल 0.1250 हैक्टेयर आवासीय भूमि का मुआवजा प्रचलित आवासीय दर से विनिर्धारित करने के बजाय केवल अंसिंचित कृषि भूमि से विनिर्धारित कर अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थी आवासीय दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58-ई के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व से ही राजस्व ग्राम नोहरा, तहसील-गिर्वा में स्थित भूमि



न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 24/21 आर्बीट्रेशन
संजय जैन बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी
जी.सी.एम.एस. नंबर: 2021/87

आबादी भूमि थी। मूल्यांकन अधिकारी ने राजस्व अभिलेखों की अनेदखी करते हुए आबादी दर के बजाय असिंचित कृषि भूमि की दर से न्यून मुआवजे की राशि निर्धारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है, जो कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखा व राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से प्रत्यक्षतः परिलक्षित होने वाली त्रुटि है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखो तथा संबंधित पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे तैयार व मूल्यांकन रिपोर्ट जो कि विपक्षी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत की गई उसमें भी आराजी संख्या 7031 एवं आराजी संख्या 8903/7031 की किस्म आवासीय होने का स्पष्ट उल्लेख कर रखा है, इसके बावजूद भी विपक्षीगण ने इन दस्तावेजो की अनदेखी करते हुए आवासीय किस्म की बजाय असिंचित कृषि भूमि की दर से मुआवजे का गलत मूल्यांकन किया है। अतः निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-जी (5) के तहत विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी अवार्ड का पुनरीक्षण कराया जावे एवं राजस्व ग्राम नोहरा तहसील गिर्वा में स्थित प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खसरा संख्या 7031 मी. क्षेत्रफल 0.0800 में से अवाप्त की गई भूमि क्षेत्रफल 0.0425 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 8903/7031 मीन क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर में से अवाप्त की गई भूमि क्षेत्रफल 0.0825 हैक्टेयर कुल अवाप्त भूमि भूमि क्षेत्रफल 0.1250 हैक्टेयर के मुआवजे की राशि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर से पुनः मूल्यांकन कराया जावे एवं तदनुसार मुआवजे की राशि नियमानुसार देय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति तथा अन्य अनुतोष जो कि प्रकरण की परिस्थिति व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक एवं उचित हो विपक्षीगण से प्रार्थी को दिलाये जाने का संशोधित अवार्ड/निर्णय पारित कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि के प्रति सिवाय समूचित मुआवजे के अतिरिक्त अन्य कोई विरोध नहीं किया गया और उसकी ओर से मौके की स्थिति एवं भूमि का कृषि से आवासीय रूपांतरण के दस्तावेज तथा जमाबंदी मे इस आशय के अंकन को दर्शाने वाली मौके की रिपोर्ट की प्रति, जिसमें यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि भूमि आवासीय रूपांतरण होकर आवासीय उपयोग उपभोग किया जा रहा है आदि, भूमि अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। दौराने कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों एवं भूमि अर्जन अधिकारी के कार्यालय से भी राजस्व अभिलेख एवं मौके का निरीक्षण किया गया, राजस्व विभाग के भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी, राजस्व ग्राम नाई ने भी भूमि को आवासीय रूपांतरित एवं उपयोग उपभोग में होना अंकित किया है। परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने बाद कार्यवाही एक अवार्ड दिनांक 15.09.2021 को जारी किया जिसमें खसरा संख्या



न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

प्र.स. 24/21 आर्बीट्रेशन

संजय जैन बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2021/87

7031 मी. क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर में से 0.0425 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 8903/7031 क्षेत्रफल 0.02400 हैक्टेयर में से 0.0825 हैक्टेयर कुल किता 2 अवाप्तशुदा भूमि का क्षेत्रफल 0.1225 हैक्टेयर का मुआवजा किस्म आवासीय के बजाय असिंचित कृषि मानते हुए जारी किया जो विधि विरुद्ध होकर तथ्यात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः खसरा संख्या 7031 मी., 8460/7031 एवं 8903/7031 तीना ही भूमियां विधिवत रूप से गैर-कृषि अर्थात् अर्थात् आवासीय रूपांतरित होकर उपयोग उपभोग की जा रही थी और तीनों ही राजस्व अभिलेख में आवासीय के रूप में दर्ज होकर प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय करने के फलस्वरूप बाद नामांतरकरण जमाबंदी में प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्जशुदा थी इसके बावजूद भी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण रूप से खसरा संख्या 7031 मी. एवं 8903/7031 कुल अवाप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल 0.1250 हैक्टेयर का मुआवजा नियमानुसार आवासीय दर के बजाया असिंचित कृषि की दर से तय किया है जो तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण मनमाना एवं विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। विपक्षी की ओर से जवाब में प्रार्थी की भूमि आवासीय होने की स्पष्टतया कोई प्रत्याख्यान नहीं किया है और औपचारिक रूप से केवल इतना ही अंकित किया है कि प्रार्थी अपनी भूमि का "आवासीय होना प्रार्थी स्वयं सिद्ध करावे।" विपक्षी संख्या 3 ने अपने जवाब में अवाप्तशुदा भूमि के आवासीय होने के संबंध में विशिष्टतया इंकारी के बजाय केवल प्रार्थी अपनी भूमि को आवासीय हानो स्वयं सिद्ध करावें, अंकित किया है जो एक तरह से उनकी स्वीकारोक्ति है। आदेश 8 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार अभिवचनों के अन्तर्गत कोई भी इंकारी विशिष्टतया होनी चाहिये। प्रश्नगत भूमि उप जिला कलक्टर, गिर्वा के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 22.10.2010 से कृषि से गैर-कृषि संपरिवर्तित की जा चुकी थी और इस आशय का राजस्व अभिलेख में भी अंकन किया जाना संपरिवर्तन आदेश में ही आदेशित कर दिया गया था एवं आवासीय के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज की जा चुकी थी एवं बाद संपरिवर्तन तथा भू-उपयोग के आवासीय प्रकृति में ही पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रार्थी ने इस भूमि को क्रय कर लिया था जिससे कि बाद नामांतरकरण राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम आवासीय रूप में नामांतरित/अभिलिखित हो गई थी। राजस्व अभिलेख एवं पंजीकृत विक्रय विलेख लोक दस्तावेज है और लोक दस्तावेज सीधे ही साक्ष्य में स्वीकार योग्य है। मुआवजे का अर्थ विधिपूर्ण मुआवजे से है, आवासीय भूमि का कृषि की दर से मुआवजा दिलाया जाना एक तरह से मुआवजे की इंकारी के समान है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय से भूमि की किस्म का मुआवजा निर्धारण के समय पहचान करने में कारित त्रुटि की सजा प्रार्थी को दी जाना सरासर अन्यायपूर्ण होगा। तथ्यात्मक रूप से एवं राजस्व अभिलेख में भूमि की किस्म आवासीय दिनांक 22.10.2010 के बाद अंकित रही है और आवासीय रूप में ही तत्समय से ही उपयोग उपभोग में ली जा रही थी ऐसी भूमि का आवासीय दर से मुआवजा न देकर जो त्रुटि कारित की गई है, उसे सुधारा जाना आवश्यक



जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
 प्र.स. 24/21 आर्बीट्रेशन
 संजय जैन बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी
 जी.सी.एम.एस. नंबर: 2021/87

है। अतः निवेदन है कि खसरा संख्या 7031 मी. व 8903/7031 कुल अवाप्ति की गई भूमि 0.1250 हैक्टेयर का मुआवजा नियमानुसार आवासीय भूमि होते हुए भी आवासीय दर के बजाय असिंचित कृषि की दर से तय किया गया है उसे अपारस्त किया जावे एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थी को वर्तमान आवासीय दर से दिलाया जावे अवाप्ति दिनांक से भुगतान की तिथि तक बकाया राशि पर ब्याज दिलाया जावे एवं प्रार्थी को उसके साथ मुआवजे में देरी के प्रति विशेष हर्जाना एवं अन्य कोई आनुषंगिक अनुतोष जो प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार उचित हो, सहित समय अभियोजन खर्च सहित विपक्षीगण से दिलया जाना आदेशित किया जावे।

विपक्षी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया ग्राम नोहरा के खसरा संख्या 7031 किस्म भू.बी. असिंचित अवाप्ताधीन है जबकि प्रार्थी उक्त भूमि के दो भाग 7031 मी. रकबा 0.0425 हैक्टेयर तथा 8903/7031 रकबा 0.0825 कुल 0.1250 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी आवासीय बता रहा है जबकि धारा 3ए, 3डी, 3जी में उक्त दोनो खसरा नंबर का क्षेत्रफल 0.1250 हैक्टेयर तथा 8460/7031 क्षेत्रफल 0.1046 हैक्टेयर आवासीय दर्शाया जाकर मुआवजा राशि स्वीकृत हुई है। प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नंबर 8093/7031 रकबा 0.1046 हैक्टेयर आबादी दर्ज थी तथा उसी अनुसार उक्त खसरा नंबर का मुआवजा आबादी आवासीय से स्वीकृत होकर प्रार्थी के खाते में आवासीय मानकर राशि जमा हो चुकी है। शेष खसरा नंबर 7031 मी. रकबा 0.0800 हैक्टेयर तथा 8093/7031 रकबा 0.0425 हैक्टेयर कुल 0.1250 हैक्टेयर भूमि धारा 3ए, धारा 3डी एवं धारा 3जी अनुसार कृषि असिंचित से मुआवजा स्वीकृत हुआ है। वक्त प्रकाशन धारा 3ए, धारा 3डी एवं धारा 3जी के निर्धारण के समय प्राधिकारी जी से सभी खसरा नंबरान की किस्म को प्रमाणित करा कर उनके हस्ताक्षर से ही भूमि की किस्म के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि 0.1250 हैक्टेयर का वक्त अवाप्ति प्रक्रिया धारा 3ए, धारा 3डी एवं धारा 3जी मुआवजा निर्धारण के समय आवासीय होना प्रार्थी के द्वारा सिद्ध कराया जाना आवश्यक है। तदुपरांत ही प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि यदि प्रार्थी के द्वारा अवाप्ताधीन भूमि 0.1250 हैक्टेयर का वक्त अवाप्ति प्रक्रिया धारा 3ए, 3डी एवं 3जी मुआवजा निर्धारण के समय आवासीय होना सिद्ध कर दिया जाता है तो उसे उक्त भूमि की किस्म आवासीय अनुसार मुआवजा दिया जाना उचित होगा।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ अवाप्ति अधिकारी की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री संजय जैन द्वारा संपरिवर्तन पश्चात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 3ए एवं 3डी प्रकाशन अनुसार खसरा संख्या 7031 रकबा 0.1250 हे. किस्म भू.बी. मानते हुए अवार्ड जारी किया गया है। पत्रावली पर पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित सर्वे एवं मूल्यांकन रिपोर्ट में वर्तमान जमाबन्दी अनुसार



जिला कलक्टर
 उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
 प्र.स. 24/21 आर्बीट्रेशन
 संजय जैन बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी
 जी.सी.एम.एस. नंबर: 2021/87

खातेदार/सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम को कॉलम में आराजी संख्या 7031 मी. रकबा 0.0800 हे. मे से 0.0425 हे., 8903/7031 रकबा 0.2400 हे. मे से 0.0825 हे. अवाप्ति में बता संजय जैन को खातेदार अंकित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 15.09.2021 अनुसार राजस्व ग्राम नोहरा, तहसील-गिर्वा खसरा संख्या 7031 मी. रकबा 0.1250 हैक्टेयर किस्म भू.बी. का प्रकाशन 3डी में श्री संजय जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से हुआ है। इसी आधार पर अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा उप जिला कलक्टर गिर्वा, उदयपुर द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक: एफ4(0)राज/बी/भूरू./ग्रा./10/802 दिनांक 22.10.2010 एवं आदेश क्रमांक: एफ4(0)राज/बी/भूरू./ग्रा./10/803 दिनांक 22.10.2010 द्वारा आराजी संख्या 7031 मी. रकबा 0.0800 हैक्टेयर एवं 8903/7031 रकबा 0.2400 हैक्टेयर आवासीय संपरिवर्तित हो चुका था। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि संपरिवर्तन प्रकाशन दिनांक से पूर्व हो चुका था तो आराजी संख्या 7031 मी. रकबा 0.0425 हे., 8903/7031 रकबा 0.0825 हे. होना चाहिए था किन्तु प्रकाशन 7031 मी. रकबा 0.1250 हे. का हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में 2 माह की अवधि में साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, पुनः जांच कर विधिसम्मत अवार्ड पारित करे।

निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को नियमानुसार प्रदान की जावें एवं निर्णय की प्रति मय अवाप्त अधिकारी की पत्रावली 129/21 भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार) पोसवाल
 जिला कलक्टर
 उदयपुर